



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2026

विषय- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरुद्ध विचाराधीन बंदी राजवीर पुत्र श्री सुखवीर का एस0वी0बी0पी0 हॉस्पिटल सम्बद्ध एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कालेज, मेरठ में कराये उपचार में व्यय धनराशि रू0-2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)की कार्योत्तर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-27883/सामा-1(3)/22/ जि0का0 मु0नगर/उपचार- राजवीर/26, दिनांक 21-07-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरुद्ध विचाराधीन बंदी राजवीर पुत्र श्री सुखवीर का एस0वी0बी0पी0 हॉस्पिटल सम्बद्ध एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कालेज, मेरठ में कराये उपचार में व्यय धनराशि रू0-2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) की एतद्वारा कार्योत्तर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(कमलेश कुमार)
उप सचिव।

संख्या:55/2026/880जे0(1)/22-5-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
- 4- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
- 7- गाडे फाईल।

आज्ञा से,
(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।